रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 18 जून, 1983/28 ज्येष्ठ, 1905

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला–2, 25 मई, 1983

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (5)-14/83.—उप सम्भागीय अधिकारी (नागरिक) मण्डी सदर, ज़िला मण्डी द्वारा प्रारम्भिक जांच करने से श्री ओम प्रकाश, प्रधान, ग्राम पंचायत तुन्ना, उप-तहसील चच्योट, मण्डी पेय-जल योजना, तुन्ना की अलकाथीन नाली के दुरुपयोग के दोषी पाए लगते हैं;

और क्योंकि उक्त प्रधान के विरुद्ध उक्त आरोप की वास्तविकता जानने के लिए नियमित जांच करवाई जानी आवश्यक है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री ओम प्रकाश, प्रधान के विरुद्ध लगाए आरोप की वास्तविकता जानने के लिए ज़िला पंचायत अधिकारी, मण्डी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट इस विभाग को एक मास के भीतर-भीतर ज़िलाधीश, मण्डी की मारफत उनकी विस्तृत टिप्पणियों सहित अनिवार्यतयः भेज देंगे।

शिमला–2, 28 मई, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-32/83.—क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू ने सूचित किया है कि श्री बरधू राम, पंच, उक्त पंचायत की बैठकों से लगातार 2 वर्षों से अनुपस्थित रहने के दोषी लगत हैं;

और क्योंकि उक्त आरोपों के दृष्टिगत श्री बरधू राम, पंच, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत उनके पद पर रखना जन-हितार्थ नहीं है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, श्री बरधू राम को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (सी) के अन्तर्गत उनके पद से निष्कासित किया जाए। उक्त पंच का इस सम्बन्ध में उत्तर इस विभाग को 15 दिनों के भीतर-भीतर आना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहने से असमर्थ हैं।

शिमला-171002, 28 मई, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0 ए0(5)-32/83.—क्योंकि जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू ने सूचित किया है कि श्री बीणू राम, ग्राम पंचायत घाटू की लगातार 8 बैठकों से अनुपस्थिति तथा मु0 100/- रु0 के दुरुपयोग के दोषी हैं;

और क्योंकि श्री बीणू राम के विरुद्ध उक्त आरोपों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) व (डी) के अन्तर्गत उन्हें उनके पद पर रखना जन-हितार्थ नहीं है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त श्री बीणू राम को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2)(सी) (डी) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत घाटू के पंच पद से निष्कासित किया जाए तथा वह उनके पास पेशगी मु0 100/-रु0 को ब्याज सहित 15 दिनों के भीतर-भीतर सम्बन्धित पंचायत में जमा करवाने के भी आदेश देते हैं। उनकी इस सम्बन्ध में राशि जमा करवाने की सूचना तथा उत्तर इस विभाग में एक मास के भीतर-भीतर जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू की टिप्पणियों सहित प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ भी कहने से असमर्थ हैं।

शिमला–171002, 31 मई, 1983

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए0(5)-55/78.—क्योंकि ग्राम पंचायत वुरूआ, तहसील व जिला कुल्लू के लेखों के दिनांक 23-7-82 से 28-7-82 तक किए गए आंकेक्षण से गम्भीर आपत्तियां सामने आई हैं तथा उद्यान विभाग द्वारा दिए गए अनुदान को भी ठीक खर्च न करने के आरोप, प्रधान के विरुद्ध हैं ;

और क्योंकि वास्तविकता जानने के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत नियमित जांच करवानी अनिवार्य है;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त मामले में वास्तविकता जानने के लिए जांच करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत उप-सम्भागीय अधिकारी (ना0), कुल्लू को जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, कुल्लू की टिप्पणियों सहित इस विभाग को एक मास के भीतर-भीतर देंगे।

शिमला–171002, 3 जून, 1983

संख्या पी0 सी0 एच0-एच 0 ए0 (5)-38/78.—क्योंकि श्री जीत राम, प्रधान, ग्राम पंचायत मझियूट, विकास खण्ड, मशोबरा, जिला शिमला मु0 2500/- रुपये के दिनांक 26-11-79 से 10-3-1981 तक दुरुपयोग करने के दोषी पाये गए हैं तथा इसके अतिरिक्त मु0 6000/- रुपये उन्होंने पंचायत निधि से निकाले और उसमें से मु0 450 रुपये अभी तक उन्होंने वापिस नहीं किए। मु0 193-20 रुपये की बकाया राशि स्कूल भवन गद्दकाहन का हिसाब भी उन्होंने नहीं दिया है ;

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश श्री जीत राम को कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 57 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मझियूट के प्रधान पद से निष्कासित किया जाए तथा क्यों न उन्हें ग्राम पंचायत के आगामी निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। उनका इस सम्बन्ध में उत्तर जिलाधीश, शिमला के माध्यम से इस विभाग को इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर अनिवार्य तौर से प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह अपने पक्ष में कुछ कहने में असमर्थ हैं।

हस्ताक्षरित/-,
अवर सचिव (पंचायत)।

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 4 अप्रैल, 1983

सं0 एल0एस0 जी0-क(9) 8/81.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम, अधिनियम, 1979 (1979 की अधिनियम संख्या 20) की द्वारा 397 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिमला नगर निगम द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 395 (ञ) (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाई गई शिमला नगर निगम (नियंत्रण एवं विनियम) फेरीवाला उप-विधियों को अनुमोदनोपरान्त राजपत्र में सहर्ष अधिसूचित करते हैं :—

शिमला नगर निगम शिमला (नियंत्रण एवं विनियम) फेरी वाला उप-विधियां।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—ये उप-विधियां "शिमला नगर निगम (नियंत्रण एवं विनियम) फेरीवाला उप-विधियां 1981" कही जा सकती हैं।

1. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात प्रवृत होंगी।

2. इन उप-विधियों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) निक्षेप से किन्हीं वस्तुओं को बिक्री के प्रयोजन हेतु सार्वजनिक गली की सतह पर या ऊपर रखना अभिप्रेत है:—

(ख) "फेरीवाला" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो बिक्री हेतु सार्वजनिक गली में माल का निक्षेप करता है और बैहंगीवाला, खोंचे वाला और फेरीवाला इसके अन्तर्गत है।

(ग) "अनुज्ञापन अधिकारी" से, आयुक्त द्वारा इन उप-विधियों के अधीन, अनुज्ञप्ति स्वीकृति करने हेतु नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है।

3. कोई भी फेरीवाला, आयुक्त नगर निगम शिमला या इस निमित उस द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा, इन उप-विधियों से सम्बन्ध प्रपत्र में अनुज्ञप्ति के रूप में स्वीकृति लिखित अनुमति और कथित लिखित अनुमति में अन्तर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन के अतिरिक्त शिमला नगर के भीतर की किसी भी सार्वजनिक गली में बिक्री हेतु माल या अन्य चीजें जमा नहीं करेगा ।

4. अनुज्ञप्ति फीस, समय-समय पर, आयुक्त नगर निगम, शिमला द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

5. ऐसी अनुमति, जब तक कि अनुज्ञप्ति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी अधिरोपती की जाए शिमला नगर की सभी सार्वजनिक गलियों के लिए मान्य होगी।

6. आयुक्त या अनुज्ञापन अधिकारी समय को परिसीमित कर सकता है जिसके भीतर सामान्यतः या विशेषतः फेरीवालों को किसी वर्ग की वस्तुओं का या किसी विशेष गली में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है।

7. अनुज्ञप्ति आयुक्त या उस द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अनुज्ञापन अधिकारी की आज्ञा से पूर्व नामित परिवार के सदस्य और अन्यथा अहिंता व्यक्ति के अतिरिक्त हस्तान्तरणीय नहीं होगा।

8. अनुज्ञप्ति निम्नलिखित को स्वीकृत नहीं की जाएगी,

(क) किसी घृणित संक्रामक अथवा छूत की बिमारी से ग्रस्त व्यक्ति को,
(ख) बारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को,
(ग) आबकारी अफीम या हानिकाकर औषधि अधिनियम के अधीन अवैध बिक्री या अपने पास रखने के लिए दण्डित व्यक्ति को दण्ड की तिथि से तीन वर्ष तक, या ।
(घ) कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इन उप-विधियों या अनुज्ञप्ति की शर्तों का अभ्यासत उल्लंघन करता रहा हो ।

9. उप-विधि 8 के अध्यधीन, ऐसे किसी भी व्यक्ति, जो आयुक्त या उस द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी को लिखित आवेदन और विहित फीस अदा करता है, को ऐसे अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति की अनुमति दी जाएगी। जब तक कि वह कारणों का अभिलेख करके ऐसे व्यक्ति को अनुज्ञप्ति की अनुमति के योग्य नहीं समझता ।

10. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम द्वारा समय-समय पर, विनिश्चित की जाने वाली दरों पर तह-बाजारी के संदाय के लिए भी दायी होगा, तह-बाजारी साप्ताहिक अग्रिम रूप में प्रभारित की जाएगी।

11. यदि आयुक्त या उस द्वारा इस सम्बन्ध में विधिवत रूप से प्राधिकृत अधिकारी का उस व्यक्ति को जिसे अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है अपनी स्थिति को जो उसके विरुद्ध हो स्पष्ट करने के लिए अवसर प्रदान करने के पश्चात समाधान हो जाता है कि इन उप-विधियों अथवा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन किया गया है जो वह ऐसे व्यक्ति के जिसको अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है।

अन्य विधि के अधीन किसी अन्य शासित के लिए दायी होते हुए भी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकता है या वापिस ले सकता है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को उसे दी गई अवधि के भीतर पद को छोड़ना और खाली करना पड़ेगा ।

12. निगम द्वारा कोई भी वैकल्पिक या उसके बदले अन्य स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा।

13. तह बाजारी एक मास के लिए बकाया रहने की स्थिति में उसकी अनुज्ञप्ति रद्द समझी जाएगी और उसे स्थल खाली करना पड़ेगा और तह-बाजारी के देय कर बकाया के रूप में वसूल किये जाएंगे।

14. कोई भी अनुज्ञप्ति धारी स्वीकृत स्थल अर्थात् (1×1½/मी0)/मीटर (एक मीटर चौड़ाई में और डेढ़ मीटर लम्बाई में) से अधिक प्रयुक्त नहीं करेगा। और यदि किसी बढ़ोतरी का पता लग जाता है तो निगम के स्वस्थ अधिकारी द्वारा नगर निगम अधिनियम 1979 की धारा 247 और 427 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

15. अनुज्ञप्तिधारी को निगम के स्वस्थ अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार हर समय स्थल को स्वच्छ, स्वस्थकर स्थिति में रखना पड़ेगा। अनुज्ञप्ति धारी कूड़ा करकट रखने के लिए स्थल पर किसी भी प्रकार का उप-गड्डा नहीं खोदेगा या खुदवायेगा।

16. अनुज्ञप्ति धारी को प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनुमति को नवीकृत करवाना होगा।

17. अनुज्ञप्तिधारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्थल के कारण यातायात में किसी प्रकार की बाधा न पड़े।

18. अनुज्ञप्तिधारी फेरी के स्थल पर किसी भी प्रकार का ढांचा जो कुछ भी हो, निर्मित नहीं करेगा।

19. कोई व्यक्ति जो इन उप-विधियों का उल्लंघन करता है, दण्डाधिकारी द्वारा दोषी पाये जाने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा जो कि एक सौ तक हो सकता है। और जब उल्लंघन लगातार उल्लंघन हो तो अगले जुर्माने से जो कि पहले के पश्चात जिसके भीतर उल्लंघन जारी रहा प्रत्येक दिन के लिए 20 रु0 हो सकता है।

प्रपत्र "क"

सार्वजनिक स्थान पर बिक्री के लिए माल या अन्य वस्तुएं रखने हेतु

अहस्तान्तरणीय

श्री-------------------संख्या----------------

श्री---फेरीवाला को -----------------------

प्रातः------------------------------ से -------------------- शाम तक ------------------/

स्थान से दूसरी ओर दी गई शर्तों के अध्यधीन निम्नलिखित माल या अन्य चीजें विक्रय करने हेतु रखने के लिए एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती।

फीस :--

वस्तुओं का नाम

सत्यापित फोटो

फेरी वाले के हस्ताक्षर अथवा
अंगूठा निशान

तिथि

अनुज्ञापन अधिकारी।

शर्तें

अनुज्ञप्तिधारी अपने पास रखेगा और अनुज्ञापन अधिकारी या आयुक्त नगर निगम द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत करेगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी अपनी वस्तुओं को सार्वजनिक गली में बिक्री के लिए उस समय से अधिक नहीं रखेगा जो कि उनको बिक्री के लिए आवश्यक हो विशेष रूप से वह अपनी वस्तुओं को उस समय प्रदर्शित नहीं करेगा जब कि वह उन्हें वास्तव में ग्राहकों को बेच न रहा हो।

3. अनुज्ञप्तिधारी अन्य वस्तुओं की फेरी नहीं लगायेगा जो कि अनुज्ञप्ति में समाविष्ट नहीं है ।

4. अनुज्ञप्तिधारी अपने पास क्षेप्य द्रव्य के लिए एक पात्र रखेगा जिसमें वह स्वयं अथवा अपने ग्राहकों से अपने माल का क्षेप्य द्रव्य रखेगा/रखवायेगा ।

5. अनुज्ञप्तिधारी अपने बिक्री के माल को किसी प्रवेश-छिद्र, गलमोरी, या गली पर नहीं रखेगा ।

6. अनुज्ञप्तिधारी सभी वस्तुओं जिन पर मक्खियों के बैठने की आशंका हो, को मक्खी निष्प्रभाव्य आवरण से सुरक्षित रखेगा ।

7. अनुज्ञप्तिधारी किसी भी स्वास्थ्य निरीक्षक की मांग पर खाने या पीने की किसी वस्तु को निरीक्षण या नमूना लेने की अनुमति देगा, ऐसे अधिकारी को बिना आज्ञा के ऐसी खाने अथवा पीने की वस्तु को नष्ट करने का अधिकार होगा जिसे वह अस्वस्थ्य कर समझता हो ।

8. अनुज्ञप्तिधारी या उसकी नियुक्ति में और ग्राहकों से व्यवहार करने वाले अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वस्त्र साफ सुथरे होने चाहिये और वे किसी भी प्रकार के घृणित, संक्रमक या छूत के रोग से रहित होने चाहिये ।

9. अनुज्ञप्तिधारी खाने या पीने की सभी वस्तुओं की सुरक्षा या स्वच्छता हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दिये गये सभी अनुदेशों का पालन करेगा ।

10. अनुज्ञप्तिधारी या उसके साथी किसी व्यक्ति द्वारा भिक्षा याचना का करना अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु दायी बनायेगा ।

11. अनुज्ञप्तिधारी ग्राहकों को आकर्षित करने हेतु न ही कोई घंटी ले जायेगा या बजायेगा या कोई यांत्रिक या अन्य साधन प्रयोग करेगा ।

12. अनुज्ञप्ति और उपविधियों की शर्तों का कोई उल्लंघन उस शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिसके लिए उस व्यक्ति ने जिसको अनुज्ञप्ति की अनुमति प्रदान की गई है अपने आपको दायी बनाया है, अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण या वापसी के लिए दायी बनायेगा । ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को उसे दी गई अवधि के भीतर परिसर को छोड़ना और खाली करना पड़ेगा ।

13. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाने वाली दरों पर तह बाजारी के संदाय के दायी होगा । तह बाजारी साप्ताहिक अग्रिम रूप में प्रभारित की जायेगी ।

14. निगम किसी भी प्रकार से वैकल्पिक या उसके बदले अन्य स्थान प्रदान नहीं करेगा ।

15. यदि तह बाजारी के एक मास के लिए बकाया रहने की स्थिति में उसकी अनुज्ञप्ति रद्द समझी जायेगी । और उसे स्थल खाली करना पड़ेगा और तह बाजारी का देय बकाया करों के बकाया रूप में वसूल किया जायेगा ।

16. कोई भी अनुज्ञप्तिधारी स्वीकृत स्थल अर्थात् $(1 \times 1\frac{1}{2})$ (एक मीटर चौड़ाई में तथा डेढ़ मीटर लम्बाई में) से अधिक स्थान प्रयुक्त नहीं करेगा । यदि किसी बढ़ोतरी का पता लग जाता है तो निगम के स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1979, की धारा 247 और 427 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

17. अनुज्ञप्तिधारी को निगम के स्वास्थ्य अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार हर समय स्थल को साफ और स्वस्थकर स्थिति में रखना पड़ेगा । अनुज्ञप्तिधारी कुड़ा करकट रखने के लिए स्थल पर किसी भी प्रकार के गड्ढे नहीं खोदेगा या खुदवायेगा ।

18. अनुज्ञप्तिधारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उस द्वारा स्थल को प्रयोग में लाए जाने के कारण यातायात में किसी प्रकार की बाधा न पड़े ।

19. अनुज्ञप्तिधारी फेरी के स्थल पर किसी भी प्रकार का ढांचा, जो कुछ भी हो निर्मित नहीं करेगा ।

आदेश द्वारा,
सी० डी० परमीरा,
सचिव ।

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th April, 1983

No. LSG-A(9)-8/81.—In exercise of the powers conferred by section 397 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1979 (Act No. 20 of 1979) the Governor, Himachal Pradesh having approved the "Shimla Municipal Corporation (Control and Regulation) Hawkers Bye-Laws" framed by the Municipal Corporation Shimla in exercise of the powers conferred by section 395 (*J*) (6) of the above Act is pleased to notify the same in the Official Gazette.

THE MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA (CONTROL AND REGULATION) HAWKERS BYE-LAWS

Short title and commencement.—(1) These bye-laws may be called "The Shimla Municipal Corporation (Control and Regulation) Hawkers Bye-laws 1982".

1. They shall come into force after 30 days from the date of their publications in the Official Gazette.

2. In these bye-laws unless the context otherwise requires:—

(*a*) "deposit" means to place any articles on or above the surface of a public street for the purpose of sale;

(*b*) "Hawkers" means a person who deposits good for sale in a public street includes a Behangiwala, Khonchewala, and Pheriwala;

(*c*) "Licencing Officer" means the officer appointed by the Commissioner for granting licence under these bye-laws.

3. No Hawker shall deposit or cause to be deposited goods for sale or other articles in any public street within Shimla City except under the written permission granted by the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla or the licensing officer authorised by him in this behalf in the form of a licence in form annexed to these bye-laws subject to the conditions contained in the said written permission.

4. The licence fee shall be decided by the Commissioner Municipal Corporation, Shimla from time to time.

5. Such permission shall, unless, specified otherwise in the licence be valid for all public streets in Shimla city subject to such conditions as may be imposed.

6. The Commissioner or the licensing officer may limit the time during which Hawkers may be permitted to operate either generally or specially in respect of any class of articles or in any particular public street.

7. The licence shall not be transferable except to a member of the family previously nominated and otherwise qualified with the permission of the Commissioner or licensing officer authorised by him in this behalf.

8. The licence shall not be granted to:—

(*a*) a person suffering from any loathsom, infectious or contagious disease;

(*b*) a person under the age of twelve years;

(*c*) a person convicted for unlawful sale or possession under the excise, opium or Dangerous Drugs Acts within three years of the date of conviction; or

(*d*) a person who has been found to have habitually committed to breach of these bye-laws or of the terms of the licence.

9. Subject to bye-laws 8, licence to any person who applied in writing to the Commissioner or officer authorised by him in this behalf and tenders the prescribed fee shall be granted by that officer, unless for reasons to be recorded in writing by him, he considers the applicant not a fit person for the grant of such a licence.

10. The licence shall be liable to pay-Teh bazari in addition to the licence fee at the rates to be decided by the Commissioner, Municipal Corporation from time to time, teh-bazari shall be charged weekly in advance.

11. If the Commissioner or the officer duly authorised by him in this behalf is satisfied, after giving an opportunity to the person to whom the licence has been granted to explain any circumstances appearing against him, that a breach of these bye-laws orany of the conditions of the licence has been committed, he may notwithstanding any other penalty to which the person to whom the licence has been granted may be liable under these bye-laws or any other laws cancel or withdraw the licence. In that case the licence will have to quite and vacate the premises within the period given to him.

12. No substitute and alternate accommodation will be provided by the Corporation.

13. In case the Teh-bazari falls into arrears for a month, his licence will be deemed to have been cancelled and he will have to vacate the site and the Teh-bazari dues shall be recoverable as arrear of taxes.

14. No licensee shall use the site more than the sanctioned one *i. e.* $1 \times 1\frac{1}{2}$ metre (one metre in breadth and $1\frac{1}{2}$ metre in length) and if any extension is detected action against him will be taken by the Corporation Health Officer under section 247 and 427 of the H. P. Municipal Corporation Act, 1979.

15. The licensee will have to keep the site at all times in a clean and sanitary condition to the satisfaction of the Corporation Health Officer. The licensee shall not dig or cause to be dug any pit upon the site for keeping refuse, rubbish etc. thereon.

16. The licensee will have to get the permission renewed after the expiry of each financial years.

17. The licensee may take care that there should not be any hinderance in the traffic due to his occupation of the site.

18. The licensee shall not arise any type of structure whatsoever at the site of his hawking.

19. Any person who commits a breach of these bye-laws shall, on conviction by a Magistrate, be punishable with fine which may extend to one hundred rupees and when the breach is a continuing breach with a further fine which may extend to twenty rupees for every day after first during which the breach continues.

FORM 'A'

Licence to deposit goods for sale or other articles on a public place.

NOT TRANSFERABLE

No. .....

....Hawker is hereby permitted to deposit the following goods for sale or other articles from .....A.M. to.....P. M. subject to the conditions specified on the reverse.

Fee.

Name of goods.

Attested Photograph.

Signature or thumb mark of the hawker.

Date..... Licensing Officer.

CONDITIONS

1. The licensee shall keep his licence with him and shall produce it on demand by the licensing officer or other officer authorised by the Commissioner of the Municipal Corporation or Police officials.

2. Th licensee shall not deposit his goods for sale in a public street for longer hours then is necessary to effect the sale and in particular shall not deposit his goods for display when not actually attending to a customer.

3. The licensee shall not hawk any other articles not including in the licence.

4. The licensee shall carry with him a receptacle for waste matter and shall deposit or cause to be deposited by his customers all waste matter from his goods therein.

5. The licensee shall not halt or deposit his goods for sale on any manhole, sewer gutter or grating.

6. The licensee shall protect with fly-proof cover all articles liable to attract flies.

7. The licensee shall on demand permit any sanitary Inspector to inspect or take any sample of any article of food or drink and such officer shall have the power to destroy irrespective of the permission, any article of food or drink which he deems to be unwholesome.

8. The licensee and the person or persons in his employ and attending to the customers, shall be cleanly clad and shall some, infectious or contagious disease.

9. The licensee shall obey all such instructions as may be given by the officers of the Health Department for protection and cleanliness of articles of food or drink.

10 Soliciting alms by the licensee or any person accompany him shall render the licence liable to cancellation

11. The licensee shall not carry or ring any bell or use any mechanical or other contravance to attract customers.

12. Any breach of terms of the licensee of the bye-laws shall render the licence liable to cancellation or withdrawal without prejudice to any other penalty to which the person to whom the licence has been granted may have rendered himself liable. In that case the licensee will have to quit and vacate the premises within the period given to him.

13. The licensee shall be liable to pay Teh-bazari in addition to the licensee fee, at the rates to be decided by the Commissioner, Municipal Corporation, Shimla from time to time. Teh-bazari shall be charged weekly in advance.

14. No substitute and alternate accommodation will be provided by the Corporation.

15. In case the Teh-bazari falls into arrears for a month, his licence will be deemed to have been cancelled and he will have to vacate the site and the Teh-bazari dues shall be recoverable as arrears of taxes.

16. No licensee shall use the site more than the sanctioned one *i. e.* I metre × 1½ metre (one metre in breadth and 1½ metre in length) and if any extension is detected action against him will be taken by the Corporation Health Officer under section 247 and 427 of the H. P. Municipal Corporation Act, 1979.

17. The licensee will have to keep the site at all time in a clean and sanitary condition to the satisfaction of the Corporation Health Officer. The licensee shall not dig or cause to be dug any pit upon the site for keeping refuses, rubbish etc. thereon.

18. The licensee may take care that there should not be any hindrance in the traffic due to his occupation of the site.

19. The licensee shall not raise any type of structure whatsoever, at the site of his hawking.

By order,

C. D. PARSEERA,
Secretary.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER SHIMLA, DISTRICT SHIMLA

OFFICE ORDER

Shimla-171001, *the 5th April*, 1983

No. 748-58.—Whereas the following Primary Members of Panchayat Samiti, Chhohara of Shimla district have tendered their resignations from the membership of the said Samiti;

And whereas I, V.K. Bhatnager, Additional Deputy Commissioner, Shimla District in exercise

of the power conferred upon me *vide* Notification No. PCH-HB (*ii*) 19/76 dated the 15th January, 1982, am satisfied as to the genuineness of their resignations;

Now, therefore, the resignations of the below named Primary Members of Panchayat Samiti Chhohara shall take effect from the dates as indicated against ecah:—

Sl. No.	Name of primary member	Date from which the resignations stands accepted
1	2	3
1.	Shri Mehar Singh Thakur	21-3-1983
2.	Shri Surat Singh Thakur	21-3-1983
3.	Shri Nain Singh	21-3-1983
4.	Shri Bahadur Singh	21-3-1983
5.	Shri Shalig Ram	21-3-1983
6.	Shri Pitamber Dass	21-3-1983
7.	Shri Hiun Nath	21-3-1983
8.	Shri Narain Singh	28-3-1983

V. K. BHATNAGAR,
Additional Deputy Commissioner, Shimla.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।